

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड

मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 122 / 2014

संस्थापित दिनांक 17 / 02 / 2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0.

..... अभियोजन

बनाम

1. सुरेश पुत्र रामस्वरूप बाल्मीक उम्र—50साल
 2. मदन पुत्र रामस्वरूप बाल्मीक उम्र—45साल
 3. चतुरी पुत्र रामस्वरूप बाल्मीक उम्र—46साल
 4. महेश पुत्र गुप्टी बाल्मीक उम्र—55साल
- समस्त निवासीगण वार्ड क्र.7 इटाइली गेट
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 09 / 07 / 2014 को घोषित किया)

1. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294, 324 / 34 तथा 506 बी-2 के अपराध के आरोप है कि दिनांक 06 / 02 / 14 के 2.00 बजे बेहट रोड मौ पर सार्वजनिक स्थान पर फरियादी नरेश को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व उपस्थित जनसमूह को क्षोभ कारित किया व फरियादी नरेश को धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की व जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कारित किया

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी नरेश बाल्मीक ने मय अपने लडके बबलू के साथ पुलिस थाना गोहद में दिनांक 06 / 02 / 14 के 2:00 बजे दिन में उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि आज दिन के 2:00 बजे की बात है वह नगर पालिका के सामने खड़ा था तभी महेश, चतुरी, मदन, सुरेश चारो लोग आये और मादर चोद बहन चोद की भददी—भददी गालियाँ देने लगे उसने गाली देने से मना किया तो महेश ने उसे पकड़ लिया सुरेश ने सिर में छूरी मारी मदन ने एक डंडा मारा जो उसके बाये बखोरा में लगा चतुरी ने लात घूसों से

मारपीट की जिससे उसकी आँख के उपर चोट लगी वह चिल्लाया तो मनीष व मिथुन व मुन्ना आ गये जिन्होंने घटना देखी एवं बीच बचाव कराया जाते समय चारो लोग कह रहे थे कि आज तो बच गये आईन्दा जान से खत्म कर देंगे।

3. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा अप0क0 46/14 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294, 324/34 तथा 506 बी-2 के आरोपो की विवेचना की गई आरोपीगण ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा।

5. प्रकरण में फरियादी, पक्ष द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को भा0द0वि0 की धारा 294, 506बी में दोषमुक्त किया गया जाकर आरोपी को भा.द.वि.की धारा 324/34 के अंतर्गत विचारण किया जा रहा है।

6. प्रकरण में निम्नलिखित अवधारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने सार्वजनिक स्थान फरियादी को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारितकी?

सकारण निष्कर्ष

7. नरेश आ0सा01 का कहना है कि 4,5 माह पहले वह नगर पालिका के पास खड़ा था चारो आरोपीगण ने उसे मॉ बहनकी गालियाँ दी और मिलकर डंडो से मारपीट की उसने घटना की रिपोर्ट थाने पर की थी जो प्र0पी01 की है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है पुलिस ने घटना सील का नक्शा मौका बनाया जो प्र0पी01 का है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह स्वीकार किया है कि उसे किसी धारदार हथियार से चोट नहीं पहुचाई थी साक्षी ने न्यायालीन अभिलेख पर कही भी इस आशय का कथन नहीं दिया है कि उसे किसी धारदार हथियार अथवा घातक हथियार से चोटपहुचाकर उपहति कारित की हो। साक्षी के कथनो से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने साक्षी को धारदार हथियार से चोट पहुचार उपहति कारित की हो।

8. प्रकरण में फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य आपसी

राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता है कि फरियादी ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये हैं जिससे यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने फरियादी को धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर उपहति कारित की हो।

9. अभियोजन मामले के अनुसार मेडीकल रिपोर्ट का अवलोकन करे तो इससे दर्शित होता है कि आहत नरेश को किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर उपहति कारित की है लेकिन फरियादी नरेश ने न्यायालीन अभिलेख पर दिये कथनों में इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपीगण ने उसे किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाई हो ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि.की धारा 324 / 34 के अपराध का समर्थन नहीं होता है।

10. प्रकरण में आरोपीगण के आरोपित आरोप भा.द.वि. की धारा 324 पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है अतः आरोपीगण को भा.द.वि.की धारा 324 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है उनके जमानत मुचलके भारहीन होने से उनमोचित किये जाते हैं।

11. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।

12. प्रकरण में धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

13. प्रकरण में अभियाजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उप0रहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0 के तहत 10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालयमें हस्ताक्षरितव
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता/सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद

हस्ता/सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद

4 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 122 / 2014